कार्यालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0 5/17-18

28/11/24	अभिलेख उपस्थापित। संदेहात्मक जमाबंदी से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा के पश्चात खोजबीन कर अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन तथा जमाबंदी रैयत की ओर से उनके वंशज के द्वारा भूमि से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख दिनांक 09/12/24 को प्रस्तुत करें। 28/11/24 अंचल अधिकारी, चतरा।
~~29/11/24~~ 09/12/24	अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद से संबंधित जमाबंदी में निहित भूमि विगत कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास है। ऑफलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–08, भाग सं0–01 पर माखो साव, पिता–मंगल साव के नाम से जमाबंदी कायम है, जिसपर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। यह पंजी–II कायम होने का वर्ष दर्ज नहीं है। इस पंजी–II के अनुसार निम्नलिखित लगान रसीदों के माध्यम से लगान वसुली किये जाने का इन्द्राज है।

क्र0	लगान रसीद सं0	रसीद निर्गत की तिथि	वसूली वर्ष
1	2842595	15.07.2007	2007–08
2	0831712058	16.02.2019	2008–09 से 2018–19
3	0861835094	09.03.2023	2019–20 से 2023–24

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस वाद से संबंधित भूमि/जमाबंदी का विवरण निम्नवत है:–

प्रश्नगत भूमि एवं जमाबंदी का विवरण

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता पति का नाम	मौजा एवं थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमाबंदी पंजी II का पृष्ठ सं0
माखो साव, पिता–मंगल साव, सा0–चौर, थाना वो जिला–चतरा	चौर/284	07	–	1.95 ए0	08/1

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि विगत कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाता की है। प्रश्नगत जमाबंदी के परिवर्तन के लिए प्राधिकार स्तम्भ में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। वर्तमान ऑनलाईन पंजी–II में वर्ष 2007–08 से 2023–24 तक विभिन्न लगान रसीदों के माध्यम से वसूली दर्ज है। जांच प्रतिवेदन में लगान

रसीदों की संख्या एवं तिथि दर्ज है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक ने पुनः प्रतिवेदित किया है कि वर्तमान ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–08/1 पर प्रश्नगत जमाबंदी कायम है, वर्ष 2023–24 तक ऑनलाईन लगान रसीद दर्ज है, ऑनलाईन पंजी–II का छायाप्रति संलग्न किया है। जमाबंदी रैयत को प्रश्नगत भूमि हासिल होने से संबंधित कोई राजस्व कागजात संलग्न नहीं किया गया है। जमाबंदी पंजी पर किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है तथा भूतपूर्व जमींदार द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत विवरण/रिटर्न का प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्होंने मुख्य सचिव, झारखण्ड के विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 एवं इस संदर्भ में सरकार के विभिन्न परिपत्रों में निर्गत निदेश के आलोक में प्रश्नगत जमाबंदी को संदेहात्मक बताते हुए बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950/2000 की धारा 4H के तहत प्रश्नगत जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की है। इन्होंने प्रतिवेदित किया है कि सरकार के विभागीय पत्रांक 6144/रा0, दिनांक 21.12.2017 के अनुसार जमाबंदी रैयत/इनके वंशज सुयोग्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते है, फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि का पुनः बन्दोबस्ती इनके साथ किया जाना उचित नहीं है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में मुख्य सचिव, झारखण्ड के विभागीय पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 तथा इस संदर्भ में विभिन्न विभागीय परिपत्रों के अनुसार प्रश्नगत जमाबंदी संदेहात्मक है।

अतः मौजा–चौर, थाना–चतरा, थाना नं0–284 के पंजी–II के पृष्ठ सं0–08/1 पर माखो साव, पिता–मंगल साव, सा0–चौर के नाम से गैरमजरूआ खास खाता सं0–07, प्लॉट सं0–0, रकबा–1.95 ए0 भूमि के लिए कायम प्रश्नगत जमाबंदी को बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950/2000 की धारा 4H के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

09/1/25

अंचल अधिकारी,
चतरा।

09/1/25

अंचल अधिकारी,
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.01.03 21:55:33 +05:30
Location: 192.168.1.39